**न्यायालय: अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–6, लखीमपुर–खीरी।**
**प्रकीर्ण फौजदारी सं०–163/2025**
**रजि सं०–925/2025**
**CRN No. UPLP01–010323–2025**

जी०टी०एल० इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड 202,203,204 द्वितीय तल भव्या कार्पोरेट टावर प्लाट नं०–TC24V विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ 226010। द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री जय शंकर बाजपेशई उम्र करीब 39 वर्ष पुत्र श्री ओम प्रकाश बाजपेई।

**–––––निगरानीकर्ता/ प्रार्थी।**

**बनाम**

सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी।

**––––––––––विपक्षी।**

**दिनांक 25–07–2026**

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम कागज सं०–5 ख मय शपथपत्र प्रस्तुत। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) को पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी/ निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थनापत्र धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम, जिसके समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, के माध्यम से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी को विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने का आधार यह अभिकथित किया गया है कि प्रार्थी / कंपनी के टेक्नीशियन मो० सरफराज आलम द्वारा दिनांक 28/09/2022 को कंपनी के टावर स्थित मकान नं0 229 आवास विकास कालोनी थाना कोतवाली जिला खीरी के सामान की चोरी की प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी थी। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा वादी मुकदमा सरफराज आलम का बयान अंकित करवाया गया तथा बयानों के आधार पर विवेचना की गयी, लेकिन विवेचना के बाद अंतिम रिपोर्ट अवर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित कर दी गयी, जिसकी कोई जानकारी वादी मुकदमा को नहीं दी गयी। जानकारी के अभाव में वादी मुकदमा अवर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अंतिम रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत न कर सका। उक्त वादी मुकदमा मोहम्मद सरफराज आलम द्वारा दिनांक 11/07/2023 को कंपनी से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उन्होने न तो कंपनी को वाद की आगे की कार्यवाही की जानकारी दी और न ही अवर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस वादी मुकदमा पर तामील हुई, जिस कारण कंपनी को अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने की जानकारी प्राप्त नही हो सकी। प्रार्थी को उक्त प्राथमिकी की जानकारी नवम्बर 2025 के प्रथम सप्ताह में उस समय प्राप्त हुई जब कंपनी के फील्ड कार्यालय से संबंधित आंतरिक रिपोर्ट प्राप्त हुई। तत्पश्चात कंपनी ने अविलंब प्रार्थी को उक्त वाद में प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त कर उक्त प्राथमिकी के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया। प्रार्थी ने दिनांक 15/11/2025 को लखीमपुर कचेहरी आकर श्री सुशील कुमार मिश्रा एड को अधिवक्ता नियुक्त कर पत्रावली का मुआयना करवाया। दिनांक 19/11/2025 को अधिवक्ता महोदय ने मुआयना कर प्रार्थी को उक्त आदेश दिनांकित 17/02/2025 की जानकारी दी तथा दिनांक 27/11/2025 को आदेश दिनांकित 17/02/2025 की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अविलंब निगरानी प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी ने निगरानी प्रस्तुत करने में जान–बूझ कर विलंब कारित नही किया है, वरन् जो भी विलंब हुआ है, वह उक्त कारणोंवश हुआ है, जो कि क्षम्य है। न्यायहित में प्रार्थी को धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ उदारता पूर्वक प्रदान कर निगरानी प्रस्तुति में हुये विलंब को माफ कर निगरानी को समयावधि में मानकर गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना

आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी की अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति संभव नहीं है, प्रार्थी नैसर्गिक न्याय पाने से वंचित रह जायेगा। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभउदारता पूर्वक प्रदान कर निगरानी प्रस्तुति में हुये विलंब को माफ कर निगरानी को समयावधि में मानकर गुणावगुण पर निस्तारित करने की प्रार्थना की गयी।

विपक्षी राज्य की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का मौखिक विरोध किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/ निगरानीकर्ता द्वारा प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या–854/2024 मोहम्मद सरफराज आलम बनाम अज्ञात में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–02–2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। मुंसरिम की आख्या के अनुसार प्रस्तुत फौजदारी निगरानी मियाद बाहर दाखिल किया गया है।

विलम्ब को क्षमा किए जाने के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विभिन्न विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय विधि **एन० बालाकृष्णन बनाम एम० कृष्ण मूर्ति ए०आई०आर० 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज–3222** पर माननीय निर्वचन उदारतापूर्वक किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय दिलाया जा सकें। निर्णय विधि **रामगौड़ा मेजर बनाम स्पेशल एक्युजीशन आफीसर 1988(2)एस०सी०सी० पेज–142** पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत विलम्ब को क्षमा करने के लिए पर्याप्त कारण का निर्वचन उदारतापूर्वक किया जाना चाहिए ताकि वास्तविक न्याय दिलाया जा सके और साधारणतया निगरानी प्रस्तुत करने में किए गए विलम्ब को न्यायहित में क्षमा कर देना चाहिए जब तक कि गंभीर लापरवाही और जानबूझकर कार्यवाही न करने की दुर्भावना प्रतीत न हो। निर्णय विधि **कलक्टर, भूमि अधिग्रहण अनन्तनाग व अन्य बनाम मु० कटीजी आदि (1987) 2 एस०सी०सी० पेज–107** पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि धारा–5 परिसीमा अधिनियम इसलिए बनाया गया है कि न्यायालय वाद का गुण–दोष पर निस्तारण करते हुए पक्षकारों को वास्तिक न्याय दिला सके। उपरोक्त विधि व्यवस्था में यह भी कहा गया है कि जहां पर वास्तविक न्याय तथा तकनीकियां आमने–सामने हो वहां पर भी कहा गया है कि जहां पर वास्तविक न्याय को प्राथमीकता दी जानी चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि न्यायपालिको को सम्मान अन्याय को तकनीकी आधार पर न्यायपूर्ण बनाने से नहीं है बल्कि अन्याय को दूर करने में है। निर्णय विधि **श्रीमती प्रभा बनाम राम प्रकाश कालरा (1987) सप्लीमेन्टरी एस०सी०सी० पेज–338** पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि धारा–5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र को अस्वीकार करने में न्यायालय को अन्यायपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए।

प्रस्तुत मामले में फौजदारी निगरानी के प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब का आधार प्रार्थी/ निगरानीकर्ता द्वारा मुकदमें की सही जानकारी समय से नहीं होना बताया है। उपरोक्त कथनों के समर्थन में प्रार्थी/ निगरानीकर्ता द्वारा शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त विधि व्यवस्था में वर्णित सिद्धान्तों जिसका उल्लेख किया जा चुका है, के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि विलम्ब को क्षमा किए जाने से न्यायालय का उदारता का दृष्टिकोण होना चाहिए। लगभग 06 माह 21 दिवस का विलम्ब कारित किया गया है। उक्त तथ्यों के दृष्टिगत, रखते हुए प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम में फौजदारी निगरानी के प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा किए जाने के जो आधार अभिकथित किए गए है, वे तर्कसंगत होना पाये जाते है। जहां तक कारित विलम्ब का प्रश्न है, तो उसकी प्रतिपूर्ति हर्जे से संभव

है। अतएव उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

प्रकीर्ण फौजदारी सं०–163/2025, प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम कागज सं०–5 ख, मु०–700/–(सात सौ) रूपये हर्जें पर स्वीकार किया जाता है। अधिरोपित हर्जा उत्तर प्रदेश राज्य के पक्ष में जमा हो। हर्जा अदायगी के अधीन कारित विलम्ब क्षमा किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली ग्राह्यता के बिन्दु पर सुनवाई हेतु न्यायालय माननीय जनपद न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी को प्रेषित हो। पक्षकार दिनांक 17–08–2026 को माननीय जनपद न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी के न्यायालय में उपस्थित हो।

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–6, लखीमपुर–खीरी।
J.O. Code–UP1561

दिनांक 25–07–2026

Digitally signed by ABHISHEK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.07.25 17:22:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court